

वंडरलूम्स के को-फाउंडर ने छात्रों को बताए सफलता के मंत्र

भोपाल एजेंसी। भोपाल के युवा उद्यमी और वंडरलूम्स के को-फाउंडर प्रतीक वत्स ने आज रायसेन रोड स्थित एलएनसीटी कॉलेज में स्टार्टअप टॉक के दौरान अपनी सफलता की हहानी साझा की। प्रतीक की वंडरलूम्स भोपाल की पहली स्टार्टअप है। इसकी शुरूआत टीवी शो शार्क टैक की फैटिंग हासिल है। 2014 में शुरू की गई वंडरलूम्स बाइकर्स और एडवेंचर प्रेमियों के लिए विशेष मर्चेंडाइज का निर्माण करती है। प्रतीक ने बताया कि कंपनी की शुरूआत उनकी निजी बचत और पिता से लिए गए उधार से हुई। उन्होंने छात्रों को बताया कि एक विचार को सफल व्यवसाय में बदलने की राह आसान नहीं होती, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही दिशा में लागतार प्रगति से सफलता जबर मिलती है। कार्यक्रम में प्रतीक के साथ उनके सहयोगी दीपेश भी मौजूद थे। दोनों ने छात्रों के साथ अपने उद्यमिता के सफर और शार्क टैक में अपने अनुभवों का साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भोपाल जैसे ट्रियर-2 शहर से भी स्टार्टअप की सफलता की है। कहानियां लिखी जाएं और सभी उद्योगों की छात्रों को बताया कि स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी लेकर में हिस्सा लेना पड़े, क्योंकि अच्छा आइडिया कहीं भी आ सकता है। उन्होंने कहा, आइडिया इस बुलिंग एंड एप्लीकेशन इस एक्स्ट्रिंग, यानी आर आर आपकी किसी आइडिया पर काम करते हैं तो उसे केवल सोने से नहीं, बल्कि उसे लागू भी करता है।

प्रतीक ने शार्क टैक शो में फैटिंग प्राप्त करने के अपने संघर्ष के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें निराशा का समान करना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। फैटिंग पाने का सफर आसान नहीं था, लेकिन एक ठास योजना, कड़ी मेहनत और सही शिक्षा में काम करने से हम सफल हुए, प्रतीक ने कहा। दोनों ने छात्रों को बताया कि वह भी बहुत देखे होंगे, अपने आइडिया को समझना और एक मजबूत योजना बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास अच्छा उत्पाद है और आप उसे लागतार सुधारते रहते हैं, तो निवेशक आपके हाथ में पैसा रखने के लिए तैयार रहते हैं।

मंत्रालय में 4 दिवसीय स्वारथ्य जांच शिविर 10 से

भोपाल एजेंसी। मध्य प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वल्लभ भवन-1 के प्रथम तल पर स्थित सरकारी डिस्ट्रेंसरी से 10 से 14 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर में नेता सेवा सदन चिकित्सालय संत हिरदाराम नगर के विशेष डॉक्टर सेवाएं देंगे।

मध्य प्रदेश मंत्रालय स्वाच्छालय मंत्रालय शीर्षलेखक संघ और मध्य प्रदेश अज्ञातमंत्रालय शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में प्रतिविन दुब्बल 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जांच की जाएगी। संघ के नेता सुधार वर्षा और धनशयम भक्तिरियों के अनुसार, शिविर में अर्थात् की जांच के साथ-साथ दंत चिकित्सक भी उपस्थित रहेंगे जो दाँतों की जांच करेंगे।

सामाजिक प्रशासन विभाग ने मंत्रालय भवन में स्वास्थ्य जांच करने की आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। यह पहल कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामाजिक नारायणदास की 5वीं पुण्यतिथि

भोपाल एजेंसी। संत हिरदाराम नगर के समाजसेवी स्व. नारायणदास चौटावानी की पांचवीं पुण्यतिथि पूर्ण संपूर्ण पंचायत के तत्वावधान में मनाई गई। नगर निगम भवन के पास स्थित घृनेताल और स्व. नारायणदास चौटावानी के वित्र पर माल्यार्पण कर्ता द्वारा सेवाएं देंगे।

पंचायत अध्यक्ष मध्य चांदवानी ने बताया कि स्व. नारायणदास न केवल एक समाजसेवी बल्कि एक महान दानवीर भी थे। वे जरूरतमंद लोगों को कंबल, राशन और दवाओं के वित्र करने के साथ-साथ अर्थात् सहायता भी प्रदान करते थे। विशेष रूप से अस्थायी महिलाओं के लिए उन्होंने मासिक अर्थात् सहायता की व्यवस्था की थी, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष पासबुक सिस्टम भी बनाया था।

कार्यक्रम में पंचायत के कार्यक्रम के प्रतिष्ठान की भूमिका पर भाग लिया, जिनमें महासचिव नंद दादालानी, उपायक्ष जगदेश आसानी, कोषाध्यक्ष गुलाम जेडी, सचिव माहोन मीरचंदानी और सहकार्याध्यक्ष प्रधान राजेश राजावा राज वाधवानी, धनशयम लालवानी, औम आसानी, अशोक चौटावानी समेत कई समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

यूरो-एशिया कराटे चैंपियनशिप में होली क्रॉस स्कूल का शानदार प्रदर्शन

भोपाल एजेंसी। यूरो-एशिया कराटे चैंपियनशिप में होली क्रॉस स्कूल का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में स्कूलों के छात्रों ने कुल 19 पदक जीते विद्यालय का नाम रोशन किया।

भोपाल एजेंसी

भोपाल के युवा उद्यमी और वंडरलूम्स के को-फाउंडर प्रतीक वत्स ने आज रायसेन रोड स्थित एलएनसीटी कॉलेज में स्टार्टअप टॉक के दौरान अपनी सफलता की हहानी साझा की। प्रतीक की वंडरलूम्स भोपाल की पहली स्टार्टअप है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल व्यवसाय में बदलने वाले लोग भिन्न रूप से विचार करते हैं। दोनों ने छात्रों के साथ अपने उद्यमिता के सफर और शार्क टैक में अपने अनुभवों का साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भोपाल जैसे ट्रियर-2 शहर से भी स्टार्टअप की सफलता की है।

प्रतीक ने छात्रों को बताया कि स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी लेकर में हिस्सा लेना पड़े, क्योंकि अच्छा आइडिया कहीं भी आ सकता है। उन्होंने कहा, आइडिया इस बुलिंग एंड एप्लीकेशन इस बुलिंग एंड एप्लीकेशन स्टेशन सहित अन्य व्यवस्था देखी थी। अब उसी के अनुरूप उज्जैन सिंहस्थ के लिए है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक विचार को सफल बनाने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

प्रतीक ने बताया कि एक विचार को सफल बनाने की तैयारी जारी रखने के लिए एक साथ भी ऊँची जारी रखने की तैयारी है।

स्मैक तस्करी का आरोपी पकड़ाया पुलिस ने 40 हजार की स्मैक बरामद, जेल भेजा

मीडिया ऑडीटर, सिंगलौली (निप्र)। सिंगलौली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सूची दिवेवी (25) के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 4 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत लाखभाग 40 हजार आमी गई है।

संपादकीय

सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है
राजस्थान की माइनिंग सेक्टर में लंबी छलांग

माइनिंग सेक्टर के महत्व को रुस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की हालिया नीति के चलते आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका की यूक्रेन की खनिज संपदा पर नजर है और वह चाहता है कि यूक्रेन को सहयोग करने के बदले में यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार अमेरिका को मिल जाए। यही हालात दुनिया के दूसरे देशों की है। आज चीन की मोनोपोली से सभी देश गले तक भर आये हैं वहीं दुनिया के देश खनिज संपदा के भण्डारों की खोज व खनन के विकल्प ढूँढ़ने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले एक दशक में मिनरल एक्सप्लोरेशन के कार्य में तेजी आई है। हमारे देश में सतत खनन विकास पर जोर दिया जाने लगा है और 2016-17 से मेजर हो या माइनर मिनरल सभी माइंस नीलाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। बदली परिस्थितियों में यह भी साफ हो जाना चाहिए कि सरकारों की ईच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसका ताजातरीन उदाहरण राजस्थान सरकार और राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय है। देश-दुनिया में अवैध खनन गतिविधियों के लिए कुछ्यात माइनिंग सेक्टर को नई पहचान देने के कारण प्रयास राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने कर के दिखाया है। केवल एक साल की समयावधी में ही माइनिंग सेक्टर में राजस्थान समूचे देश में लंबी छलांग लगाने लगा है। दिसंबर, 24 में सरकार ने कार्यभार संभालते ही माइनिंग सेक्टर में दो दिशाओं में तेजी से कदम बढ़ाये। पहला अवैध खनन गतिविधियों पर कारण अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया तो दूसरी और सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि खनिज बहुल क्षेत्रों की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए डेलिनियेशन और प्लॉट व ब्लॉक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए और विभाग इन तैयार प्लॉटों व ब्लॉकों की नीलामी का रोडमैप बनाकर पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया को अमली जामा पहुंचायें। सरकार की मंशा के अनुसार विभागीय अमला भी जुट गया और नई सरकार बनने के तीन माह में ही 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों का भारत सरकार के पोर्टल पर ई-नीलामी की गई तो एक साल से कुछ ही अधिक समय में नई सरकार बनने के बाद के जनवरी, 25 तक 15 ब्लॉकों सहित 15 जोड़ 33 ब्लॉक कुल 48 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर नया इतिहास रच दिया गया।

कैसे रुकें सिवरेज की सफाई में होने वाली मौत?

अशोक मधुप

कोलकाता शहर में सिवरेज की सफाई के दौरान तीन श्रमिकों की मौत हो गई। घटना कोलकाता लेदर कंप्लेस में सीवरेज लाइन के साफ के दौरान हुई। सुप्रीम कोर्ट काफी पहले कह चुका है कि मरने वालों के परिवार को तीस-तीस लाख रूपया मुआवजा दिया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। प्रदेश सरकार ने बीस-बीस लाख रूपये मुआवजा देकर ही मामला निपटा दिया। यह घटना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के चार दिन बाद हुई है, जिस आदेश में सुप्रीम कार्ट ने कहा कि किंदिल्ली, मुंबई, कलकाता, चिन्नई, बंगलूरु और हैदराबाद जैसे मैट्रोपालिटन शहरों में मैनुअल सफाई और सीधर सफाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था।



दरअसल न्यायालय आदेश करता है किंतु उन आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को या तो ये आदेश पहुंच नहीं पाता। आदेश पहुंच पाता है तो फाइलों के दबाव में वे उसे पढ़ नहीं पाते। इसीलिए बार-बार आदेशों के पालन में अनदेखी होती है। इन आदेशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रदेश स्तर पर त्वरित और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

जुलाई 2022 में लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार पांच साल में सीवर सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हुई। पांच सालों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 1993 के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक से होने वाली मौतों के 1,248 मामलों में से इस साल मार्च तक 1,116 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया है, हालांकि, 81 मामलों में मुआवजे का भुगतान अभी भी लंबित है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि राज्यों द्वारा 51 मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिल सके। 1993 के बाद के आंकड़ा से पता चलता है कि कि सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों के सबसे अधिक 256 मामले

तमिलनाडु में सामने आए। इसके बाद गुजरात (204), उत्तर प्रदेश (131), हरियाणा (115) और दिल्ली (112) का नंबर आता है। सीवर से होने वाली मौतों के सबसे कम मामले छत्तीसगढ़ (1) में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद त्रिपुरा और ओडिशा में 2-2 मामले, दादर और नगर हवेली (3) और झारखण्ड (4) आते हैं। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के 58 मामलों में से सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु (11) से हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान (11-11 मामले), और गुजरात (8) तथा पंजाब (6) का नंबर आता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 1993 के बाद से हुई 1,247 मौतों में से 456 मामले 2018 के बाद दर्ज किए गए हैं।

नौ अक्टूबर 2024 को दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में
एक कंस्ट्रक्शन साइट पर तीन मजदूरों की मौत का मामला
सामने आया है। ये मजदूर सीधे लाइन साफ करने के लिए
सीधे के अंदर उतरे थे। सीधे लाइन से निकल रही जहरीली
गैस की वजह से तीनों मजदूरों का दम घुट गया था। स्थानीय
लोगों का कहना है कि सीधे में उतरे मजदूरों के लिए सुरक्षा
के कोई इंतजाम नहीं थे। 23 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के
सीधे जिले में सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत हो
गई। ये मौत लगातार होती रहती है। रुक नहीं पातीं।

घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को कहा था कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा देना होगा सीवर की सफाई के दौरान कोई सफाईकर्मी स्थायी दिव्यांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं, अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से ना रोके जाने का निर्देश दिया।

सरकारे और अधिकारी प्रायः मानते हैं कि न्यायालय आदेश करता रहता है। वह करें। उन्हें काम अपनी मर्जी से करना है। इसी कारण सिवरेज की सफाई में लगे कर्मचारियों को कार्य के दौरान न सुखा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, न मौत होने पर मुआवजा दिया जाता है। परिवार वाले न ज्यादा शिक्षित होते हैं, न संपत्ति। उन्हें न्यायालय के आदेश की जानकारी ही नहीं होती। इतना धन भी नहीं होता कि वह न्यायालय की शरण में जाए। इसका फायदा विभागीय अधिकारी उठाते हैं। वह अपनी मनमर्जी करते हैं। ऐसा प्रायः सभी जगह होता है। सिवरेज की सफाई में लगे कर्मचारियों की मौत की घटनाएँ रोकने के लिए, उन्हें मैनुअल सिवरेज की सफाई के आदेश देने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने से ही मौत रुकेंगी, अन्यथा नहीं।

प्रदेश सरकारों को चाहिए कि वह एक ऐसा सेल बनाए जो इस तरह की मौत की मोनिटरिंग करें। उनकी मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाए। एक बात और राज्य स्तर पर बनाये सैल न्यायालयों के आदेश नगर पालिका, नगर निगम आदि में भेजने की भी तुरंत व्यवस्था हो। बताए कि यह आदेश हुआ है। सिवरेज की सफाई करते इन नियमों का पालन करें। ये सैल ये भी मोनिटरिंग करें कि नगर निगम या नगर पालिका के पास सिवरेज की सफाई के समय प्रयोग होने वाले उपकरण हैं या नहीं। क्या उनके कर्मचारी सफाई करते सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हैं या नहीं। जहां प्रयोग नहीं करते वहां कर्मचारियों को जागरूक किया जाए। उनके इन सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के लाभ बताए जाएं उन्हें कहा जाए कि सिवरेज में उत्तरने से पहले सुरक्षा उपकरण पहनने से उनकी जान बच सकती है। देखने में आया है कि प्रायः स्थानीय निकाय के के पास सुरक्षा उपकरण ही नहीं हैं। उन्हें दबाव देकर ये उपकरण खरीदाराएं जाएं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण पहनने की प्रशिक्षण दिया जाए।

स्थानीय निकायों को कहा जाए कि वह मैनुअल सिवरेज की सफाई न कराएं। इसके लिए उपकरण खरीदें। जिन स्थानीय निकायों के पास इन उपकरण खरीदने के लिए धन नहीं है, उन्हें धन उपलब्ध कराया जाए। सरकारों के इस मामले में गंभीर होने से ही सिवरेज की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत की घटनाएं रुक सकेंगी। सिवरेज की सफाई में मरने वाले कर्मचारियों के परिवार अनाथ होने से बच जाएँ।

धोखेबाजों पर कब कार्यवाही करेगी भारत सरकार

अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में लाखों भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। यह सभी भारतीय जहां रह रहे हैं। वहां पर भारतीय दूतावास भी हैं। अवैध दस्तावेजों के सहारे भारतीयों को विदेश में ले जाने के लिए एजेंट फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। विदेश में रोजगार और नौकरी के लिए जाने वालों से 25 से 50 लाख की वसूली करते हैं। उसके बाद एक देश से दूसरे देश में ले जाकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि देशों में ले जाकर छोड़ देते हैं। लाखों रुपए गवाने के बाद भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में नाराकीय जीवन जी रहे हैं। भारतीय दूतावास उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। भारत के एजेंट गलत दस्तावेजों पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विदेश भेजते हैं। उन पर भारत सरकार कर्तव्याई क्यों नहीं करती है। भारत में धोखाधड़ी का यह धंधा बढ़ता ही जा रहा है। जांच एजेंसियां हाथ में चूड़ी डालकर बैठी हुई हैं। लाखों परिवारों का जीवन हर साल भारत में बर्बाद हो रहा है।

ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੇ ਕਾਰਣ ਮਾਰੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੁਗਲਕੀ ਪੰਚਾਖੀ ਫੇਸਲੇ

योगेन्द्र योगी

नहीं आते। राजस्थान ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी जातिगत पंचायतें ऐसे फैसले सुनाती रही हैं। खाप पंचायतें अपने परंपरावादी फैसलों के लिए मशहूर रही हैं। मुजफ्फरनगर के सोसम गांव में खाप महापंचायत ने साल 2014 में फरमान जारी कर लड़कियों के जींस पहनने, उनके फोन और इंटरनेट यूज करने पर बैन लगाया गया था। कुछ लड़कियों के घर से भागने के बाद समाधान के रूप में यह ऐलान किया गया था। ऐसा केवल यूपी में ही नहीं हरियाणा जैसे राज्यों में भी बैन लगाया गया था। साल 2015 में बागापत में एक खाप पंचायत ने दो बहनों के साथ रेप करने और उन्हें निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का आदेश जारी किया था। उन्हें उनके भाई के अपराध की सजा दी गई। उनका भाई एक ऊंची जाति की महिला के साथ भाग गया था। जलाई 2010 में हरियाणा की सर्व खाप जाट

जुलाइ 2010 में हरियाणा का सब खाप जट पंचायत ने फरमान जारी किया कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिग होने का इंतजार नहीं करना है। उनकी शादी अब 15 साल में ही कर देनी है। रेप की घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने के लिए यह अदेश जारी किया गया था। ऑनर क्लिंग, समरोत्रिय विवाह और प्रेम विवाह को लेकर खाप पंचायत बेतुका बयान जारी करते रही हैं। खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का ख्याल है और ना ही आलोचनाओं का, तभी तो उसके बेतुके फैसले तालिबानी और तुगलकी फरमान की तरह लोगों के सिर पर पहाड़ बन कर टूटते हैं। झज्जर की खाप पंचायत का मानना था कि आर्य समाजी ढंग से होने वाली शादियों पर तत्काल से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। खाप ने यह बेतुका फरमान लव मैरेज को गेकर्ने के लिए



सुनाया था। खाप पंचायत प्रेम विवाह के खिलाफ है। खाप ने आर्य समाज में होने वाली शादियों को दक्षनदीपी क्षम प्रिया था।

खाप और जातिगत पंचायतों के इस तरह के बेबुनियाद तर्क बदस्तूर जारी हैं। एक खाप ने कहा था कि बलात्कार और यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लड़कियों का बाल विवाह कर

A photograph capturing a large outdoor gathering under a prominent red and white checkered canopy. In the center-left, a man with dark hair, dressed in a white kurta and light-colored dhoti, stands and gestures with his right hand towards the upper left. He appears to be addressing the crowd or performing a ritual. The crowd consists of numerous people, mostly men, seated on the ground in rows. Many individuals are wearing white clothing, while others are in various colors like yellow, pink, and black. The scene suggests a religious or spiritual assembly, possibly a satsang or a public discourse.

देना चाहिए ताकि वो जवान होने से पहले ही किसकी पत्नी बन जाये और पुरुष उनकी ऐसी आकर्षित ना हो। महाराष्ट्र के बीड में एक महिला और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का आदेश देने पर जाति पंचायत के 9 सदस्यों ने खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला का सामाजिक बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि

उसके ससुर ने उस महिला से शादी की थी, जिससे वह प्यार करता था।

राजस्थान के चाकसू कस्बे में आपसी सहमति से 2022 में तलाक लेने की जानकारी समाज के अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने जातीय पंचायत बैठाकर तलाक लेने के लिए प्रताड़ित किया और 1,51,000 रुपए आर्थिक दंड के रूप में देने का फैसला सुनाया। झारखण्ड ऐसी पंचायतों के फैसलों के लिए बदनाम रहा है। पलामू गढवा और लातेहार में 65 से अधिक पंचायतों पर एफआईआर दर्ज हुई। कई ऐसे भी मामले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शिकायतकर्ता सामने नहीं आए हैं। झारखण्ड में पंचायत के फैसले के बाद 36 से अधिक लोगों की मार्तिं हुई। 40 से अधिक दुष्कर्म के मामले में पंचायत बैठी है, जिनमें आरोपियों को बचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई करत हुए खाप पंचायत पर बड़ा फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि खाप पंचायत का किसी भी शादी पर रोक लगाना अवैध है। अदालत ने कहा था कि अगर कोई भी संगठन शादी को रोकने की कोशिश करता है, तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की। इसके बावजूद देश के किसी न किसी कोने से पंचायतों के मनमाने निर्णय सामने आते रहते हैं। राजनीतिक दल जातिगत पंचायतों के ऐसे फैसले रोकने के बजाए इनमें वोट बैंक के हित हूँढ़ी नजर आती हैं। यह निश्चित है जब तक राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर कानून का शासन करने पर एकराय नहीं होंगे, तब तक ऐसे गैरकाननी पंचायती फैसले आते रहेंगे।

